

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री रोहित कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 153/2019

सरकार बनाम 1. खरताराम, खीयाराम, फुसाराम मालाराम वगैरे

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू-राजस्व अधिनियम सपटित नियम
59,60,66,,86 भू-अभिलेख नियम 1970.

आदेश

दिनांक:-24 .12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू- राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कपुरडी के मूल खसरा नं 1778 है वर्तमान में इसके विभाजित खसरा न. है जिसकी वर्तमान जमाबंदी अनुसार स्थिति संलग्न परिशिष्ट 'अ' के कालम 1 से 7 अनुसार है। भू. अ. नि. व पटवारी की रिपोर्ट अनुसार उपर्युक्त खसरान के बट्टा नम्बर की तरमीम पुराने नक्शों में भी नहीं है एवं मौके पर भी जमाबन्दी अनुसार किया जाना संभव नहीं है। अतः संलग्न अतः परिशिष्ट 'अ' के कालम 8 से 12 अनुसार खसरे व खाते का एकीकरण करने का आदेश का निवेदन किया ।

विप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया गया। बावजूद इतला विप्रार्थीगण अनुपस्थित।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 131, 136 के तहत राजस्व रिकॉर्ड में हुई किसी अशुद्धि को शुद्ध करने हेतु आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विभाजित खसरान का एकीकरण कर एक खसरा नम्बर एक खाता दर्ज करने का आदेश देने का निवेदन किया गया जिसके कारण यह सारहीन है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़तर हो ।

आदेश खुल न्यायालय मे दिनांक .24.12.2019 को सुनाया गया ।



(रोहित कुमार)
भू-अभिलेख अधिकारी,
(S.D.O.) बालोतरा